

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:-एम0ई0/नजारत/2019/

लखनऊ:दिनांक: 18 फरवरी, 2019

नियुक्ति आदेश:-

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या-112/गोपन अनुभाग/1/18/2016/2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 के द्वारा कनिष्ठ सहायकों के पद के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय को प्राप्त करायी गयी है। पत्र के क्रमांक 02 पर अंकित अभ्यर्थी सुश्री शिप्रा बाजपेई पुत्री स्व0 रमाकान्त बाजपेई, निवासी-554/87 छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ की नियुक्ति वेतन मैट्रिक्स रू0 21700-69100 (लेवल-3) में कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थायी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- वेतन के साथ-साथ इन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते एवं समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले अन्य भत्ते भी दिये होंगे।
- 2- पद धारक को प्रश्नगत पद/समकक्ष श्रेणी के पद के कार्यों एवं समय-समय पर महानिदेशक/सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्यों को सम्पादित करना होगा।
- 3- किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशदान नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।
- 4- नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर अस्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में पारित नियमों के अधीन मान्य होगी।
- 5- इनकी सेवायें अस्थायी पद पर हैं और किसी भी समय निम्न प्रकार समाप्त की जा सकती हैं:-
क- अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह का नोटिस देकर

अथवा

- ख- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन्हें एक माह का नोटिस देकर या नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन या एक माह की दी गई नोटिस में शेष अवधि का वेतन देकर।
- 6- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना प्रस्तुत करते समय इन्हें निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-
क- दो फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित
ख- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।
ग- निवास प्रमाण पत्र।
घ- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा में सफल होने का प्रमाण-पत्र।
ङ- जूनियर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र व अंक पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ एवं उक्त प्रमाण पत्र मूलरूप से मिलान हेतु प्रस्तुत करें।
च- परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र (यदि उपलब्ध हों)।
छ- आरक्षण की स्थिति में जारी प्रमाण पत्र तहसीलदार/मजिस्ट्रेट द्वारा जारी।
ज- एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।
झ- परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र यदि कोई हो।

ण- किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा पदच्युत न किये जाने या न हटाये जाने का घोषणा-पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।

ट- भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा-पत्र।

- 7- पुलिस विभाग द्वारा अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति दी जा रही है तथा यह नियुक्ति पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट के अधीन होगी। यदि चरित्र एवं प्राप्ति के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 8- कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 9- यदि आप 30 दिन के अन्दर कार्यभार नहीं ग्रहण करते हैं तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- 10- नियुक्ति सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- 11- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
- 12- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
- 13- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

संख्या:-एम०ई०/नजारत/2019/200-207 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य, चिकित्साधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 5- आहरण-वितरण अधिकारी/कैशियर, चिकित्सा शिक्षा।
- ✓ 6- नोडल अधिकारी (वेबसाइट), चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 7- सुश्री शिप्रा बाजपेई पुत्री स्व० रमाकान्त बाजपेई, निवासी-554/87 छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ-226005।
- 8- गार्ड फाइल।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:-एम0ई0/नजारत/2019/

लखनऊ:दिनांक: 18 फरवरी, 2019

::नियुक्ति आदेश::

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या-112/गोपन अनुभाग/1/18/2016/2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 के द्वारा कनिष्ठ सहायकों के पद के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय को प्राप्त करायी गयी है। पत्र के क्रमांक 01 पर अंकित अभ्यर्थी सुश्री बबिता पाण्डेय पुत्री श्री पी0एन0 पाण्डेय, निवासी-548V/649-बी विक्रम नगर, मानक नगर, लखनऊ की नियुक्ति वेतन मैट्रिक्स रू0 21700-69100 (लेवल-3) में कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थायी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- वेतन के साथ-साथ इन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते एवं समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले अन्य भत्ते भी दिये होंगे।
- 2- पद धारक को प्रश्नगत पद/समकक्ष श्रेणी के पद के कार्यों एवं समय-समय पर महानिदेशक/सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्यों को सम्पादित करना होगा।
- 3- किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशदान नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।
- 4- नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर अस्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में पारित नियमों के अधीन मान्य होगी।
- 5- इनकी सेवायें अस्थायी पद पर हैं और किसी भी समय निम्न प्रकार समाप्त की जा सकती हैं:-

क- अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह का नोटिस देकर

अथवा

ख- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन्हें एक माह का नोटिस देकर या नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन या एक माह की दी गई नोटिस में शेष अवधि का वेतन देकर।

- 6- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना प्रस्तुत करते समय इन्हें निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

क- दो फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित

ख- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

ग- निवास प्रमाण पत्र।

घ- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा में सफल होने का प्रमाण-पत्र।

ङ- जूनियर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र व अंक पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ एवं उक्त प्रमाण पत्र मूलरूप से मिलान हेतु प्रस्तुत करें।

च- परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र (यदि उपलब्ध हों)।

छ- आरक्षण की स्थिति में जारी प्रमाण पत्र तहसीलदार/मजिस्ट्रेट द्वारा जारी।

ज- एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

झ- परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र यदि कोई हो।

ण- किसी राज्य अथवा केंद्र सरकार के द्वारा पदच्युत न किये जाने या न हटाये जाने का घोषणा-पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।

ट- भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा-पत्र।

- 7- पुलिस विभाग द्वारा अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति करायी जा रही है तथा यह नियुक्ति पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट के अधीन होगी। यदि चरित्र एवं प्राम्बुत्त के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 8- कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 9- यदि आप 30 दिन के अन्दर कार्यभार नहीं ग्रहण करते हैं तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- 10- नियुक्ति सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- 11- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
- 12- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
- 13- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

संख्या:-एम०ई०/नजारत/2019/191-98

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल गौमती नगर लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य, चिकित्साधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 5- आहरण-वितरण अधिकारी/कैशियर, चिकित्सा शिक्षा।
- ✓ 6- नोडल अधिकारी (वेबसाइट), चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 7- सुश्री बबिता पाण्डेय पुत्री श्री पी०एन० पाण्डेय, निवासी-548V/649-बी विक्रम नगर, मानक नगर, लखनऊ-226011।
- 8- गार्ड फाइल।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

नियुक्ति आदेश:-

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या-112/गोपन अनुभाग/1/18/2016/2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 के द्वारा कनिष्ठ सहायकों के पद के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय को प्राप्त करायी गयी है। पत्र के क्रमांक 03 पर अंकित अभ्यर्थी सुश्री दीपांजली शुक्ला पुत्री श्री अनूप कुमार शुक्ला, निवासी-ग्राम व पोस्ट-जैतीपुर, जिला-उन्नाव की नियुक्ति वेतन मैट्रिक्स रु0 21700-69100 (लेवल-3) में कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थायी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- वेतन के साथ-साथ इन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते एवं समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले अन्य भत्ते भी देय होंगे।
- 2- पद धारक को प्रश्नगत पद/समकक्ष श्रेणी के पद के कार्यों एवं समय-समय पर महानिदेशक/सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्यों को सम्पादित करना होगा।
- 3- किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशदान नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।
- 4- नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर अस्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में पारित नियमों के अधीन मान्य होगी।
- 5- इनकी सेवायें अस्थायी पद पर हैं और किसी भी समय निम्न प्रकार समाप्त की जा सकती हैं:-

क- अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह का नोटिस देकर

अथवा

ख- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन्हें एक माह का नोटिस देकर या नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन या एक माह की दी गई नोटिस में शेष अवधि का वेतन देकर।

- 6- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना प्रस्तुत करते समय इन्हें निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

क- दो फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित।

ख- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

ग- निवास प्रमाण पत्र।

घ- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा में सफल होने का प्रमाण-पत्र।

ङ- जूनियर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र व अंक पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ एवं उक्त प्रमाण पत्र मूलरूप से मिलान हेतु प्रस्तुत करें।

च- परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र (यदि उपलब्ध हों)।

छ- आरक्षण की स्थिति में जारी प्रमाण पत्र तहसीलदार/मजिस्ट्रेट द्वारा जारी।

ज- एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

झ- परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र यदि कोई हो।

ग- किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा पदच्युत न किये जाने या न हटाये जाने का घोषणा-पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।

ट- भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा-पत्र।

7- पुलिस विभाग द्वारा अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति दी जा रही है तथा यह नियुक्ति पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट के अधीन होगी। यदि चरित्र एवं प्राग्वृत्त के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

8- कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9- यदि आप 30 दिन के अन्दर कार्यभार नहीं ग्रहण करते हैं तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

10- नियुक्ति सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

11- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

12- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

13- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

संख्या:-एम०ई०/नजारत/2019/209-16

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल गौमती नगर लखनऊ।

2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य, चिकित्साधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें।

5- आहरण-वितरण अधिकारी/कैशियर, चिकित्सा शिक्षा।

✓ 6- नोडल अधिकारी (वेबसाइट), चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

7- सुश्री दीपांजली शुक्ला पुत्री श्री अनूप कुमार शुक्ला, निवासी-ग्राम व पोस्ट-जैतीपुर, जिला-उन्नाव-209831।

8- गार्ड फाइल।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या-एम0ई0/नजारत/2019/

लखनऊ:दिनांक: 18 फरवरी, 2019

नियुक्ति आदेशः

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या-112/गोपन अनुभाग/1/18/2016/2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 के द्वारा कनिष्ठ सहायकों के पद के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय को प्राप्त करायी गयी है। पत्र के क्रमांक 09 पर अंकित अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मी पुत्री श्री राम सागर, निवासी-एस.एस.-2, सेक्टर-जी, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ की नियुक्ति वेतन मैट्रिक्स रू0 21700-69100 (लेवल-3) में कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थायी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- वेतन के साथ-साथ इन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते एवं समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले अन्य भत्ते भी देय होंगे।
- 2- पद धारक को प्रश्नगत पद/समकक्ष श्रेणी के पद के कार्यों एवं समय-समय पर महानिदेशक/सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्यों को सम्पादित करना होगा।
- 3- किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशदान नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।
- 4- नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर अस्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में पारित नियमों के अधीन मान्य होगी।
- 5- इनकी सेवायें अस्थायी पद पर हैं और किसी भी समय निम्न प्रकार समाप्त की जा सकती हैं:-

क- अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह का नोटिस देकर

अथवा

ख- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन्हें एक माह का नोटिस देकर या नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन या एक माह की दी गई नोटिस में शेष अवधि का वेतन देकर।

- 6- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना प्रस्तुत करते समय इन्हें निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

क- दो फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित

ख- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

ग- निवास प्रमाण पत्र।

घ- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा में सफल होने का प्रमाण-पत्र।

ङ- जूनियर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र व अंक पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ एवं उक्त प्रमाण पत्र मूलरूप से मिलान हेतु प्रस्तुत करें।

च- परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र (यदि उपलब्ध हों)।

छ- आरक्षण की स्थिति में जारी प्रमाण पत्र तहसीलदार/मजिस्ट्रेट द्वारा जारी।

ज- एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

- झ- परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र यदि कोई हो।
 ण- किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा पदच्युत न किये जाने या न हटाये जाने का घोषणा-पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
 ट- भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा-पत्र।
- 7- पुलिस विभाग द्वारा अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति दी जा रही है तथा यह नियुक्ति पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट के अधीन होगी। यदि चरित्र एवं प्राग्वृत्त के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
 - 8- कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा मत्ता देय नहीं होगा।
 - 9- यदि आप 30 दिन के अन्दर कार्यभार नहीं ग्रहण करते हैं तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
 - 10- नियुक्ति सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - 11- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
 - 12- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
 - 13- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

संख्या:-एम०ई०/नजारत/2019/263-70

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य, चिकित्साधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 5- आहरण-वितरण अधिकारी/कैशियर, चिकित्सा शिक्षा।
- 6- नोडल अधिकारी (वेबसाइट), चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 7- सुश्री लक्ष्मी पुत्री श्री राम सागर, निवासी-एस.एस.-2, सेक्टर-जी, एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ-226012।
- 8- गार्ड फाइल।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:-एम0ई0/नजारत/2019/

लखनऊ दिनांक: 18 फरवरी, 2019

::नियुक्ति आदेश::

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या-112/गोपन अनुभाग/1/18/2018/2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 के द्वारा कनिष्ठ सहायकों के पद के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय को प्राप्त करायी गयी है। पत्र के क्रमांक 07 पर अंकित अभ्यर्थी श्री अशोक सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह, निवासी-कल्लू हॉटल, गल्ला मण्डी गेट नं0-1 के पास कोंच, जिला-जालौन की नियुक्ति वेतन मैट्रिक्स रु0 21700-69100 (लेवल-3) में कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थायी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- वेतन के साथ-साथ इन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते एवं समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले अन्य भत्ते भी देय होंगे।
- 2- पद धारक को प्रश्नगत पद/समकक्ष श्रेणी के पद के कार्यों एवं समय-समय पर महानिदेशक/सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्यों को सम्पादित करना होगा।
- 3- किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशदान नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।
- 4- नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर अस्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में पारित नियमों के अधीन मान्य होगी।
- 5- इनकी सेवायें अस्थायी पद पर हैं और किसी भी समय निम्न प्रकार समाप्त की जा सकती हैं:-

क- अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह का नोटिस देकर

अथवा

ख- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन्हें एक माह का नोटिस देकर या नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन या एक माह की दी गई नोटिस में शेष अवधि का वेतन देकर।

- 6- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना प्रस्तुत करते समय इन्हें निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

क- दो फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित

ख- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

ग- निवास प्रमाण पत्र।

घ- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा में सफल होने का प्रमाण-पत्र।

ङ- जूनियर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र व अंक पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ एवं उक्त प्रमाण पत्र मूलरूप से मिलान हेतु प्रस्तुत करें।

च- परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र (यदि उपलब्ध हों)।

छ- आरक्षण की स्थिति में जारी प्रमाण पत्र तहसीलदार/मजिस्ट्रेट द्वारा जारी।

ज- एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

- झ- परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र यदि कोई हो।
 ण- किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा पदच्युत न किये जाने या न हटाये जाने का घोषणा-पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
 ट- भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा-पत्र।
- 7- पुलिस विभाग द्वारा अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति दी जा रही है तथा यह नियुक्ति पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट के अधीन होगी। यदि चरित्र एवं प्रावृत्त के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
 - 8- कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का सत्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 - 9- यदि आप 30 दिन के अन्दर कार्यभार नहीं ग्रहण करते हैं तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
 - 10- नियुक्ति सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - 11- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
 - 12- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
 - 13- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

संख्या:-एम०ई०/नजास्त/2019/245-52 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कौषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य, चिकित्साधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करे।
- 5- आहरण-वितरण अधिकारी/कैंशियर, चिकित्सा शिक्षा।
- 6- नोडल अधिकारी (बेवसाइट), चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 7- श्री अशोक सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह, निवासी-कल्लू होटल, गल्ला मण्डी गेट नं०-1 के पास कौंच, जिला-जालौन-285205।
- 8- गार्ड फाइल।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:-एम0ई0/नजारत/2019/

लखनऊ:दिनांक: 18 फरवरी, 2019

::नियुक्ति आदेश::

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या-112/गोपन अनुभाग/1/18/2016/2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 के द्वारा कनिष्ठ सहायकों के पद के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय को प्राप्त करायी गयी है। पत्र के क्रमांक 05 पर अंकित अभ्यर्थी सुश्री वर्तिका मौर्या पुत्री श्री हरिपाल मौर्य, निवासी-ग्राम-चौसझा मजरा तिलन, पोस्ट-रहेमाबाद, तहसील-मलिहाबाद, जिला-लखनऊ की नियुक्ति वेतन मैट्रिक्स रू0 21700-69100 (लेवल-3) में कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थायी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- वेतन के साथ-साथ इन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते एवं समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले अन्य भत्ते भी देय होंगे।
- 2- पद धारक को प्रश्नगत पद/समकक्ष श्रेणी के पद के कार्यों एवं समय-समय पर महानिदेशक/सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्यों को सम्पादित करना होगा।
- 3- किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशदान नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।
- 4- नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर अस्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में पारित नियमों के अधीन मान्य होगी।
- 5- इनकी सेवायें अस्थायी पद पर हैं और किसी भी समय निम्न प्रकार समाप्त की जा सकती हैं:-

क- अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह का नोटिस देकर

अथवा

ख- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन्हें एक माह का नोटिस देकर या नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन या एक माह की दी गई नोटिस में शेष अवधि का वेतन देकर।

- 6- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना प्रस्तुत करते समय इन्हें निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

क- दो फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित

ख- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

ग- निवास प्रमाण पत्र।

घ- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा में सफल होने का प्रमाण-पत्र।

ङ- जूनियर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र व अंक पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ एवं उक्त प्रमाण पत्र मूलरूप से मिलान हेतु प्रस्तुत करें।

च- परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र (यदि उपलब्ध हों)।

छ- आरक्षण की स्थिति में जारी प्रमाण पत्र तहसीलदार/मजिस्ट्रेट द्वारा जारी।

ज- एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

- झ- परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र यदि कोई हो।
 ण- किसी राज्य अथवा केंद्र सरकार के द्वारा पदच्युत न किये जाने या न हटाये जाने का घोषणा-पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
 ट- भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा-पत्र।
- 7- पुलिस विभाग द्वारा अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति दी जा रही है तथा यह नियुक्ति पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट के अधीन होगी। यदि चरित्र एवं प्राग्बृत्त के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
 - 8- कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 - 9- यदि आप 30 दिन के अन्दर कार्यभार नहीं ग्रहण करते हैं तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
 - 10- नियुक्ति सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - 11- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
 - 12- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
 - 13- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

संख्या:-एम०ई०/नजारत/2019/227-34 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य, चिकित्साधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 5- आहरण-वितरण अधिकारी/कैशियर, चिकित्सा शिक्षा।
- 6- नोडल अधिकारी (वेबसाइट), चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 7- सुश्री वर्तिका मौर्या पुत्री श्री हरिपाल मौर्य, निवासी-ग्राम-चौसझा मजरा तिलन, पोस्ट-रहिमाबाद, तहसील-मलिहाबाद, जिला-लखनऊ-226103।
- 8- गार्ड फाइल।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:-एम0ई0/नजारत/2019/

लखनऊ:दिनांक: 18 फरवरी, 2019

नियुक्ति आदेश:-

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या-112/गोपन अनुभाग/1/18/2016/2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 के द्वारा कनिष्ठ सहायकों के पद के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय को प्राप्त करायी गयी है। पत्र के क्रमांक 10 पर अंकित अभ्यर्थी सुश्री अकिमा यादव पुत्री श्री हृदय नारायण सिंह यादव, निवासी-66 अनीता निकेतन, तडबनवा रोड, तुलसी सागर, जिला-गाजीपुर की नियुक्ति वेतन मैट्रिक्स रु0 21700-69100 (लेवल-3) में कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थायी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- वेतन के साथ-साथ इन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते एवं समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले अन्य भत्ते भी दिये होंगे।
- 2- पद धारक को प्रहणगत पद/समकक्ष श्रेणी के पद के कार्यों एवं समय-समय पर महानिदेशक/सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्यों को सम्पादित करना होगा।
- 3- किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशदान नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।
- 4- नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर अस्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में पारित नियमों के अधीन मान्य होगी।
- 5- इनकी सेवायें अस्थायी पद पर हैं और किसी भी समय निम्न प्रकार समाप्त की जा सकती हैं:-

क- अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह का नोटिस देकर

अथवा

ख- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन्हें एक माह का नोटिस देकर या नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन या एक माह की दी गई नोटिस में शेष अवधि का वेतन देकर।

- 6- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना प्रस्तुत करते समय इन्हें निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

क- दो फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित

ख- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

ग- निवास प्रमाण पत्र।

घ- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा में सफल होने का प्रमाण-पत्र।

ड- जूनियर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र व अंक पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ एवं उक्त प्रमाण पत्र मूलरूप से मिलान हेतु प्रस्तुत करें।

च- परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र (यदि उपलब्ध हों)।

छ- आरक्षण की स्थिति में जारी प्रमाण पत्र तहसीलदार/मजिस्ट्रेट द्वारा जारी।

ज- एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

- झ- परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र यदि कोई हो।
 ण- किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा पदव्युत न किये जाने या न हटाये जाने का घोषणा-पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
 ट- भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा-पत्र।
 7- पुलिस विभाग द्वारा अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति दी जा रही है तथा यह नियुक्ति पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट के अधीन होगी। यदि चरित्र एवं प्राम्दुत्त के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
 8- कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 9- यदि आप 30 दिन के अन्दर कार्यभार नहीं ग्रहण करते हैं तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
 10- नियुक्ति सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 11- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
 12- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
 13- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

(के०के० गुप्ता)
 महानिदेशक

संख्या:-एम०ई०/नजारत/2019/272-79

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य, चिकित्साधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 5- आहरण-वितरण अधिकारी/कैशियर, चिकित्सा शिक्षा।
- 6- नोडल अधिकारी (वेबसाइट), चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 7- सुश्री अंकिमा यादव पुत्री श्री हृदय नारायण सिंह यादव, निवासी-66 अनीता निकेतन, तखबनवा रोड, तुलसी सागर, जिला-गाजीपुर-233001।
- 8- गार्ड फाइल।

(के०के० गुप्ता)
 महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या-एम0ई0/नजारत/2019/

लखनऊ दिनांक: 18 फरवरी, 2019

नियुक्ति आदेश:-

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या-112/गोपन अनुभाग/1/18/2016/2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 के द्वारा कनिष्ठ सहायकों के पद के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय को प्राप्त करायी गयी है। पत्र के क्रमांक 11 पर अंकित अभ्यर्थी श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री हीरालाल प्रसाद, निवासी-ग्राम व पोस्ट-पयासी, थाना-मटनी, जिला-देवरिया की नियुक्ति वेतन मैट्रिक्स रू0 21700-69100 (लेवल-3) में कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थायी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- वेतन के साथ-साथ इन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते एवं समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले अन्य भत्ते भी दिये होंगे।
- 2- पद धारक को प्रश्नगत पद/समकक्ष श्रेणी के पद के कार्यों एवं समय-समय पर महानिदेशक/सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्यों को सम्पादित करना होगा।
- 3- किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशदान नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।
- 4- नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर अस्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में पारित नियमों के अधीन मान्य होगी।
- 5- इनकी सेवायें अस्थायी पद पर हैं और किसी भी समय निम्न प्रकार समाप्त की जा सकती है:-

क- अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह का नोटिस देकर

अथवा

ख- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन्हें एक माह का नोटिस देकर या नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन या एक माह की दी गई नोटिस में शेष अवधि का वेतन देकर।

- 6- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना प्रस्तुत करते समय इन्हें निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

क- दो फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित

ख- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

ग- निवास प्रमाण पत्र।

घ- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा में सफल होने का प्रमाण-पत्र।

ङ- जूनियर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र व अंक पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ एवं उक्त प्रमाण पत्र मूलरूप से मिलान हेतु प्रस्तुत करें।

च- परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र (यदि उपलब्ध हों)।

छ- आरक्षण की स्थिति में जारी प्रमाण पत्र तहसीलदार/मजिस्ट्रेट द्वारा जारी।

ज- एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

झ- परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र यदि कोई हो।

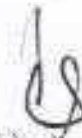
- ण- किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा पदच्युत न किये जाने या न हटाये जाने का घोषणा-पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
- ट- भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा-पत्र।
- 7- पुलिस विभाग द्वारा अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति दी जा रही है तथा यह नियुक्ति पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट के अधीन होगी। यदि चरित्र एवं प्राग्वत्त के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 8- कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 9- यदि आप 30 दिन के अन्दर कार्यभार नहीं ग्रहण करते हैं तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- 10- नियुक्ति सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- 11- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
- 12- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
- 13- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा वण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

संख्या:-एम०ई०/नजारत/2019/281-88

तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सचिव, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य, चिकित्साधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 5- आहरण-वितरण अधिकारी/कैशियर, चिकित्सा शिक्षा।
- 6- नोडल अधिकारी (वेबसाइट), चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 7- श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री हीरालाल प्रसाद, निवासी-ग्राम व पोस्ट-पयासी, थाना-भटनी, जिला-देवरिया-274506।
- 8- गार्ड फाइल।


(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:-एम0ई0/नजारत/2019/

लखनऊ:दिनांक: 18 फरवरी, 2019

::नियुक्ति आदेश::

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या-112/गोपन अनुभाग/1/18/2016/2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 के द्वारा कनिष्ठ सहायकों के पद के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय को प्राप्त करायी गयी है। पत्र के क्रमांक 08 पर अंकित अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मी सिंह पुत्री श्री सतीश चन्द्र, निवासी-417/724 निवाजगंज, बीबी वाली मस्जिद, टी0बी0 हास्पिटल, ठाकुरगंज, लखनऊ की नियुक्ति वेतन मैट्रिक्स रू0 21700-69100 (लेवल-3) में कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थायी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- वेतन के साथ-साथ इन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते एवं समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले अन्य भत्ते भी देय होंगे।
- 2- पद धारक को प्रश्नगत पद/समकक्ष श्रेणी के पद के कार्यों एवं समय-समय पर महानिदेशक/सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्यों को सम्पादित करना होगा।
- 3- किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशदान नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।
- 4- नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर अस्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में पारित नियमों के अधीन मान्य होगी।
- 5- इनकी सेवायें अस्थायी पद पर हैं और किसी भी समय निम्न प्रकार समाप्त की जा सकती हैं:-

क- अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह का नोटिस देकर

अथवा

ख- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन्हें एक माह का नोटिस देकर या नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन या एक माह की दी गई नोटिस में शेष अवधि का वेतन देकर।

- 6- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना प्रस्तुत करते समय इन्हें निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

क- दो फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित

ख- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

ग- निवास प्रमाण पत्र।

घ- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा में सफल होने का प्रमाण-पत्र।

ङ- जूनियर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र व अंक पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ एवं उक्त प्रमाण पत्र मूलरूप से मिलान हेतु प्रस्तुत करें।

च- परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र (यदि उपलब्ध हो)।

छ- आरक्षण की स्थिति में जारी प्रमाण पत्र तहसीलदार/मजिस्ट्रेट द्वारा जारी।

ज- एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

- झ- परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र यदि कोई हो।
 ण- किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा पदच्युत न किये जाने या न हटाये जाने का घोषणा-पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
 ट- भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा-पत्र।
- 7- पुलिस विभाग द्वारा अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति दी जा रही है तथा यह नियुक्ति पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट के अधीन होगी। यदि चरित्र एवं प्राप्ति के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
 - 8- कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 - 9- यदि आप 30 दिन के अन्दर कार्यभार नहीं ग्रहण करते हैं तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
 - 10- नियुक्ति सुसंगत शासनादेशों के प्रावधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - 11- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
 - 12- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
 - 13- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

(कै०के० गुप्ता)
महानिदेशक

संख्या-एम०ई०/नजारत/2019/25461

तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सचिव, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ।
 - 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
 - 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 4- मुख्य, चिकित्साधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें।
 - 5- आहरण-वितरण अधिकारी/कैशियर, चिकित्सा शिक्षा।
 - ✓ 6- नोडल अधिकारी (बेवसाइट), चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
 - 7- सुश्री लक्ष्मी सिंह पुत्री श्री सतीश चन्द्र, निवासी-417/724 निवाजगंज, बीबी वाली मस्जिद, टी०बी० हास्पिटल, ठाकुरगंज, लखनऊ-226003।
 - 8- गार्ड फाइल।

(कै०के० गुप्ता)
महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या-एम0ई0/नजारत/2019/

लखनऊ:दिनांक: 18 फरवरी, 2019

नियुक्ति आदेशः

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या-112/गोपन अनुभाग/1/18/2016/2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 के द्वारा कनिष्ठ सहायकों के पद के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय को प्राप्त करायी गयी है। पत्र के क्रमांक 04 पर अंकित अभ्यर्थी श्री अवनीश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री यमुना शंकर पाण्डेय, निवासी-बाई पास रोड निकट पावर हाऊस, लालगंज, जिला-रायबरेली की नियुक्ति वेतन मैट्रिक्स रु0 21700-69100 (लेवल-3) में कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थायी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- वेतन के साथ-साथ इन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते एवं समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले अन्य भत्ते भी देय होंगे।
- 2- पद धारक को प्रश्नगत पद/समकक्ष श्रेणी के पद के कार्यों एवं समय-समय पर महानिदेशक/सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्यों को सम्पादित करना होगा।
- 3- किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अशदान नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।
- 4- नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर अस्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में पारित नियमों के अधीन मान्य होगी।
- 5- इनकी सेवायें अस्थायी पद पर हैं और किसी भी समय निम्न प्रकार समाप्त की जा सकती हैं:-

क- अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह का नोटिस देकर

अथवा

ख- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन्हें एक माह का नोटिस देकर या नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन या एक माह की दी गई नोटिस में शेष अवधि का वेतन देकर।

- 6- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना प्रस्तुत करते समय इन्हें निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

क- दो फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित

ख- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

ग- निवास प्रमाण पत्र।

घ- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा में सफल होने का प्रमाण-पत्र।

ङ- जूनियर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र व अंक पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ एवं उक्त प्रमाण पत्र मूलरूप से मिलान हेतु प्रस्तुत करें।

च- परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र (यदि उपलब्ध हों)।

छ- आरक्षण की स्थिति में जारी प्रमाण पत्र तहसीलवार/मजिस्ट्रेट द्वारा जारी।

ज- एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

- झ- परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र यदि कोई हो।
 ञ- किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा पदच्युत न किये जाने या न हटाये जाने का घोषणा-पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
 ट- भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा-पत्र।
- 7- पुलिस विभाग द्वारा अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति दी जा रही है तथा यह नियुक्ति पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट के अधीन होगी। यदि चरित्र एवं प्राग्वत्त के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
 - 8- कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 - 9- यदि आप 30 दिन के अन्दर कार्यभार नहीं ग्रहण करते हैं तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
 - 10- नियुक्ति सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीवीक्षा नियमावली-4 के अन्तर्गत परीवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - 11- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
 - 12- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
 - 13- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

संख्या:-एम०ई०/नजार्त/2019/218-25

तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सचिव, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ।
 - 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
 - 3- मुख्य कौषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 4- मुख्य, चिकित्साधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें।
 - 5- आहरण-वितरण अधिकारी/कैशियर, चिकित्सा शिक्षा।
 - ✓ 6- नोडल अधिकारी (वेबसाइट), चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
 - 7- श्री अवनीश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री यमुना शंकर पाण्डेय, निवासी-बाई पास रोड निकट पावर हाऊस, लालगंज, जिला-रायबरेली-229206।
 - 8- गार्ड फाइल।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:-एम0ई0/नजारत/2019/

लखनऊ:दिनांक: 8 फरवरी, 2019

::नियुक्ति आदेश::

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या-112/गोपन अनुभाग/1/18/2016/2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 के द्वारा कनिष्ठ सहायकों के पद के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय को प्राप्त करायी गयी है। पत्र के क्रमांक 06 पर अंकित अभ्यर्थी श्री शरदेन्दु शुक्ल पुत्र श्री अमरनाथ शुक्ल, निवासी-ग्राम-परासडीह, पोस्ट-गौर, जिला-बस्ती की नियुक्ति वेतन मैट्रिक्स रु0 21700-69100 (लेवल-3) में कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थायी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- वेतन के साथ-साथ इन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते एवं समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले अन्य भत्ते भी देय होंगे।
- 2- पद धारक को प्रश्नगत पद/समकक्ष श्रेणी के पद के कार्यों एवं समय-समय पर महानिदेशक/सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्यों को सम्पादित करना होगा।
- 3- किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशदान नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।
- 4- नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर अस्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में पारित नियमों के अधीन मान्य होगी।
- 5- इनकी सेवायें अस्थायी पद पर हैं और किसी भी समय निम्न प्रकार समाप्त की जा सकती हैं:-

क- अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह का नोटिस देकर

अथवा

ख- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन्हें एक माह का नोटिस देकर या नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन या एक माह की दी गई नोटिस में शेष अवधि का वेतन देकर।

- 6- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना प्रस्तुत करते समय इन्हें निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

क- दो फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित

ख- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

ग- निवास प्रमाण पत्र।

घ- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा में सफल होने का प्रमाण-पत्र।

ङ- जूनियर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र व अंक पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ एवं उक्त प्रमाण पत्र मूलरूप से मिलान हेतु प्रस्तुत करें।

च- परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र (यदि उपलब्ध हों)।

छ- आरक्षण की स्थिति में जारी प्रमाण पत्र तहसीलदार/मजिस्ट्रेट द्वारा जारी।

ज- एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

झ- परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र यदि कोई हो।

- ण- किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा पदच्युत न किये जाने या न हटाये जाने का घोषणा-पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
- ट- भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा-पत्र।
- 7- पुलिस विभाग द्वारा अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति दी जा रही है तथा यह नियुक्ति पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट के अधीन होगी। यदि चरित्र एवं प्राग्वृत्त के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 8- कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 9- यदि आप 30 दिन के अन्दर कार्यभार नहीं ग्रहण करते हैं तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- 10- नियुक्ति सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- 11- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
- 12- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
- 13- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

संख्या:-एम०ई०/नजारत/2019/236-43 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल गौमती नगर लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य, चिकित्साधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 5- आहरण-वितरण अधिकारी/कैशियर, चिकित्सा शिक्षा।
- ✓ 6- नोडल अधिकारी (वेबसाइट), चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 7- श्री शरदेन्दु शुक्ल पुत्र श्री अमरनाथ शुक्ल, निवासी-ग्राम-परासडीह, पोस्ट-गौर, जिला-बस्ती-272163।
- 8- गार्ड फाइल।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक